न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.104 / अपील / 2022 (GCMS No. 2022 / 221)	01.11.2022	18.02.2025

1. सुगना पुत्री गोपाल पत्नी हजारीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम देलून्दा तहसील व जिला बून्दी
2. रामजानकी पुत्री गोपाल पत्नी राजेश कुमार जाति बैरवा निवासी उंदालिया की डूंगरी, सरकारी स्कूल के पास, बून्दी तहसील बून्दी
3. नटी बाई पुत्री गोपाल पत्नी रामावतार जाति बैरवा निवासी ग्राम पादडा, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी
4. बच्चीबाई पत्नी गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जवाहर नगर, (बिजनावर) तहसील व जिला बून्दी

– अपीलांटस

बनाम

1. पन्नालाल आ. लोडक्या जाति बैरवा निवासी जवाहर नगर (बिजनावर), तहसील व जिला बून्दी
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी,
6. राजस्थान राज्य जर्ये उप पंजीयक, बून्दी

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट
रेस्पो.सं. 1 की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट
रेस्पो. सं. 2 व 3 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 357 दिनांक 19.12.2001 ग्राम मण्डावरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार गोपाल आ. नारायण बैरवा के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 104/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/221 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 396/2 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा वर्तमान शुद्ध खसरा संख्या 516/396 रकबा 1.5756 हैक्टेयर वाकेग्राम मण्डावरा, तहसील व जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि के मूल खातेदार गोपाल वल्द नारायण कौम बैरवा निवासी ग्राम जवाहर नगर थे। उक्त गोपाल के कोई पुत्र नहीं था, केवल तीन पुत्रियां सुगना, ज्याना, नटी एवं विधवा पत्नी बच्चीबाई मौजूद है। किन्तु नामान्तरकरण संख्या 357 दिनांक 19.12.2001 में रेस्पो.सं.1 पन्नालाल को स्वर्गीय गोपाल का पुत्र होना बताकर अपीलांट के साथ साथ उसके नाम भी नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। जबकि पन्नालाल स्वर्गीय गोपाल का पुत्र नहीं है अपितु पन्नालाल के पिता का नाम लोडक्या है। खातेदार गोपाल की मृत्यु के समय पन्नालाल विवाहित था और उसकी आयु लगभग 22 वर्ष थी। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पन्नालाल को स्वर्गीय गोपाल का पुत्र होना प्रकट करते हुये स्वीकार किया गया नामान्तरकरण सर्वथा अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व गोपाल के वारिसान एवं भूमि पर कब्जे बाबत कोई जांच नहीं की गई। जबकि अपील विषयक आराजी पर अपीलांट ही काबिज काश्त चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। स्वर्गीय गोपाल के खाते की ग्राम सालरिया स्थित अन्य कृषि भूमि खसरा सं.245 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा का फोती नामा0सं0 118 दिनांक 16.12.2000 को केवल अपीलांटस के नाम स्वीकार किया गया है। इस कारण अपीलांटस को यही विश्वास रहा कि अपील विषयक आराजी का नामान्तकरण भी अपीलांटस के नाम ही स्वीकार किया गया होगा। अवैध नामान्तरकरण को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। अपीलांट ने दिनांक 12.10.22 को उक्त भूमि के नामान्तकरण की नकल निकलवायी तो उनको प्रथम बार जानकारी हुई। तब अपील अन्दर अवधि पेश की गई, फिर देरी मानी जावे तो देरी माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से पेश किया गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा 1987 आरआरडी पेज 106, 1992 आरआरडी पेज 17, 2012 आरआरडी पेज 501, 2024(1) आरआरटी पेज 625 एवं 2023(1) आरआरटी पेज 77 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि रेस्पो.सं.1 पन्नालाल खातेदार गोपाल वल्द नारायण का गोदपुत्र है एवं गोपाल के तीन पुत्रियां सुगना, ज्यादा, नटी है। गोपाल की मृत्यु होने के बाद बतौर गोद पुत्र उक्त नामान्तरकरण सं. 357 दिनांक 19.12.2001 को अपीलांटस के साथ रेस्पो.सं.1 का नाम दर्ज किया गया, जिसकी जानकारी अपीलांटस को शुरू से ही रही है एवं उक्त नामान्तरकरण के आधार पर उक्त भूमि पर रेस्पो. सं. 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस संबंध में अपीलांटस ने कभी भी कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। लेकिन गोपाल आ. नारायण की ग्राम सालरिया में स्थित दूसरी भूमि में खोले गये नामान्तकरण में रेस्पो.सं.1 का नाम दर्ज नहीं किया गया, जिसके विरूद्ध रेस्पो.सं.1 द्वारा एक अपील दिनांक 24.08.22 को इस न्यायालय में पेश की गई, जिसके नोटिस प्राप्त होने के बाद अपीलांटस द्वारा दुर्भावनावश यह अपील पेश की गई है जो नामान्तरकरण दिनांक 19.12.2001 को खुले हुये लगभग 23 वर्ष गुजर जाने के बाद पेश की है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में मियाद को क्षमा करने हेतु कोई वाजिब कारण अंकित नहीं किया है, इस कारण 23 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई यह अपील अवधि बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। ऐसे में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 ने आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि गोपाल जी ने अपीलांट पन्नालाल को अपने जीवनकाल में ही गोद लेकर अपना पुत्र अंगीकार कर लिया था जिसका पंचनामा बना हुआ है, तब से अपीलांट पन्नालाल गोपालजी का पुत्र जाना व पहचाना जाता है तथा ग्राम जवाहर नगर में निवास करता चला आ रहा है। अपीलांट के सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचानपत्र, बैंक पासबुक, गैस डायरी आदि में पन्नालाल आ. गोपाल अंकित है। गोपाल जी की मृत्यु दिनांक 12.04.1988 को हो गई, उस समय अपीलांट ने बतौर पुत्र गोपाल जी के सभी मृत्यु संस्कार संपादित किये एवं गोपाल जी की पगड़ी का दस्तुर भी समाज के व्यक्तियों के सामने पगडी बंधाई जाकर अपीलांट के किया गया। इसी कारण गोपाल जी के फोत होने के बाद उनकी ग्राम मण्डावरा में स्थित भूमि खसरा सं.396/2 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा वर्तमान खसरा सं. 516/396 रकबा 1.5765 हैक्टेयर का नामान्तरकरण सं.357 खोला गया, उसमें खातेदार गोपाल के पुत्र पन्नालाल, बेवा बच्चीबाई व तीन पुत्रियां सुगना, ज्याना, नटी सजरा में अंकित करके नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जो विधिसम्मत है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 द्वारा अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पेश किए गए न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांटस ने दिनांक 12.10.22 को उक्त भूमि के नामान्तकरण की नकल निकलवायी तो प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होते ही दिनांक 18.10.2022 को अपील अन्दर अवधि पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम मण्डावरा में विस्थित आराजी खसरा सं. 396/2 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा भूमि का खातेदार गोपाल आ. नारायण जाति बैरवा था। खातेदार गोपाल के फोत हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण मु.बच्ची बेवा गोपाल, पन्नालाल आ. गोपाल, सुगना, ज्याना, नटी पुत्रियां गोपाल कौम बैरवा निवासी जवाहर नगर के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि खातेदार गोपाल के कोई पुत्र नहीं होने पर भी पन्नालाल को पुत्र मानते हुये विरासत नामान्तरकरण में उसका नाम दर्ज कर दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है। जबकि रेस्पो.सं.1 का तर्क है कि वह गोदपुत्र होने के कारण ही ग्राम सालरिया की भूमि में उसका नाम दर्ज रेकार्ड है।

यहां उल्लेखनीय है कि रेस्पो.सं.1 पन्नालाल द्वारा स्वयं को खातेदार गोपाल आ. नारायण का गोदपुत्र माना है लेकिन पत्रावली पर पन्नालाल द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित गोदनामा पेश नहीं किया गया। रेस्पो.सं.1 पन्नालाल के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित नहीं होने से अपीलांट को गोपाल का गोदपुत्र होने की सक्षम न्यायालय से घोषणा करवानी चाहिए। गोद के लिए प्राकृतिक माता पिता एवं गोद लेने वाले माता–पिता की सहमति आवश्यक है जबकि हस्तगत प्रकरण में स्वर्गीय गोपाल की पत्नी बच्चीबाई रेस्पो.सं.1 को गोदपुत्र स्वीकार नहीं कर रही है। वैसे भी राजस्व न्यायालय को गोदपुत्र घोषित करने का अधिकार नहीं है, केवल सिविल न्यायालय ही गोदपुत्र घोषित कर सकता है। विरासत के आधार पर मृतक खातेदार गोपाल के वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में पन्नालाल पुत्र गोपाल का नाम दर्ज कर दिया गया, जो दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रथमदृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय से विधिक त्रुटि होना प्रकट होता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 357 दिनांक 19.12.2001 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि प्रकरण में मृतक खातेदार गोपाल आ. नारायण के विधिक वारिसान की जांच कर सभी हितबद्ध पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर खातेदार गोपाल आ. नारायण के विरासत नामान्तरकरण बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाकर नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी